न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2273–दो/2006 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 15–9–2006– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 130/2005–06 अपील

1– श्रीवाई पत्नि स्व. रामनिवास
2– नागेन्द्र ऋषिश्वर पुत्र रामनिवास
3– राघवेन्द्र पुत्र रामनिवास
तीनों मिस्त्रीखाना जवाहर कालोनी
लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश
4– गोपी पुत्र महीपत सिंह निवासी
ग्राम भगवासा तहसील गोहद जिला भिंड
5– डा0मेघसिंह पुत्र महीपत सिंह
मेडिकल आफिसर शासकीय चिकित्सालय शिवपुरी ---आवेदकगण

विरूद्ध

गौरीशॅकर पुत्र रामचरनलाल ग्राम भगवासा
तहसील गोहद जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 2 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण नम्बर 130/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–9–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदकगण ने तहसील न्यायालय मोहद में आवेदन देकर ग्राम भगवासा की भूमि सर्वे नंबर 234 रकबा 0.42 हैक्टर पर मृतक पिता के स्थान पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार मोहद ने प्रकरण नंबर 4/2003-04 अ-6 पंजीबद्ध करके सुनवाई कर आदेश दिनांक 27-1-04 पारित किया तथा वारिसान के आधार पर आवेदकगण का नामांत्रिण कर दिया । इस आदेश के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी मोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मोहद ने प्रकरण नंबर 41/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 30711-2005 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के यहॉ अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण नम्बर 130/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार मोहद को प्रत्यावर्तित किया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसील न्यायालय से अनावेदक को जो तामील भेजी गई है तामील कराने वाले ने व्यक्तिशः तामील का निर्वहन नहीं कराया है अर्थात तहसील न्यायालय में अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 130/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2006 के पैरा 5 में निकाले गये निष्कर्ष से मैं सहमत हूँ जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15-9-2006 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं

है । वैसे भी प्रकरण तहसील न्यायालय में पहुंचने पर उभय पक्ष को पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण नम्बर 130/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-9-2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर